17 (18)

सेवा में,

मा0 अपर मुख्य सचिव (नियुक्ति एवं कार्मिक)

उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ

विषय:- आई0ए0एस0 अधिकारी श्री कौशलराज शर्मा व डॉ0 इंद्रमणि त्रिपाठी एवं पी0सी0एस0 अधिकारी श्री रामकिशन शर्मा श्री उमेश मिश्र व श्री राकेश कुमार द्वारा की गई लूट, गबन, भ्रष्टाचार, माफियाओं के साथ गठजोड़ कर सरकारी सम्पत्ति को हड़पने, माफियाओं को संरक्षण देने, धोखाधड़ी जालसाजी कूटरचना करके फर्जी रिपोर्ट बनाने/बनवाने आदि अनेक आपराधिक कृत्यों के लिखित सबूत/प्रमाण प्रार्थी द्वारा लिखित पुस्तक "अफसरशाही एक अनसुना सच" में एकत्रित करते हुए आपको उपलब्ध कराये जाने एवं उनके आधार पर आवश्यक कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर निवेदन यह है कि प्रार्थी द्वारा इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न मेरे द्वारा लिखित पुस्तक "अफ़सरशाही एक अनसुना सच" का आप स्वयं अवलोकन एवं अध्ययन करने का कष्ट करें। इस पुस्तक में मेरे द्वारा लिखे गए तथ्यों के सबूत/ साक्ष्य मैंने QR CODES के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दिये हैं इन्हें स्कैन करके देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है तथा इन्हें DOWNLOAD करके इनका प्रिंटआउट भी निकलवाया जा सकता है। इस पुस्तक में इन अधिकारियों के द्वारा अरबो रुपए की किसानों की गन्ने की फसल की लूट, माफियाओं से उनके गठजोड़, अधिकारी- माफिया गठजोड़ के द्वारा अरबो रुपए की सरकारी भूमि को हड़पने के उनके प्रयास और उनके इस प्रयास में मेरे द्वारा बाधा उत्पन्न किये जाने के कारण एक फर्जी महाभूमिघोटाला दर्शाकर समाज, शासन, व सरकार को गुमराह करने, मुझ सहित अनेक किसानों को फंसाने के लिए षड्यंत्र के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी, कूटरचना करके अनेक फर्जी रिपोर्टें बनाने / बनवाने तथा उनका प्रयोग करने, मेरी पत्नी, मेरे भतीजे, व मेरे साले की संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क करके उन्हें अधिकारियों एवं माफियाओं से लुटवाये जाने, माफियाओं को सहयोग एवं संरक्षण प्रदान करके उनसे लूट कराने व उस लूट में हिस्सा प्राप्त करने, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके मुझ सहित अनेक लोगों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराने, तथा मुकदमे दर्ज कराने के बाद उन्हें सही साबित करने के लिए फर्जी सबूत बनाने /बनवाने तथा फर्जी विवेचनाएं कराने आदि के विवरण अंकित है।

मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं मा0 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी द्वारा भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति की घोषणा की गई है और निर्देश दिए गए हैं कि दोषी चाहे कितना भी बड़ा हो, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। इन अधिकारियों द्वारा तो भ्रष्टाचार के साथ - साथ अरबो रुपए की किसानों की गन्ने की फसल की लूट, माफियाओं से गठजोड़, अधिकारी- माफिया गठजोड़ के द्वारा अरबो रुपए की सरकारी भूमि को हड़पने के उनके प्रयास और उनके इस प्रयास में मेरे द्वारा बाधा उत्पन्न किये जाने के कारण एक फर्जी महाभूमिघोटाला दर्शाकर समाज, शासन, व सरकार को गुमराह करने, मुझ सहित अनेक किसानों को फंसाने के लिए षड्यंत्र के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी, कूटरचना करके अनेक फर्जी रिपोर्टें बनाने / बनवाने तथा उनका प्रयोग करने, मेरी पत्नी, मेरे भतीजे, व मेरे साले की संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क करके उन्हें अधिकारियों एवं माफियाओं से लुटवाये जाने, माफियाओं को सहयोग एवं संरक्षण प्रदान करके उनसे लूट कराने व उस लूट में हिस्सा प्राप्त करने, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके मुझ सहित अनेक लोगों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराने, तथा मुकदमे दर्ज कराने के बाद उन्हें सही साबित करने के लिए फर्जी सबूत बनाने /बनवाने तथा फर्जी विवेचनाएं कराने सहित अनेक आपराधिक कार्य किये गए हैं और इन सभी के लिखित सबूत /प्रमाण मौजूद हैं जो इस पुस्तक के माध्यम से आपको उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

अतः आपसे सादर अनुरोध है कि इन अधिकारियों के द्वारा किए गए उपरोक्त अपराधो जिनके सभी लिखित सबूत/प्रमाण आपको इस पुस्तक के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे हैं, इनके द्वारा किए गए प्रत्येक अपराध के संबंध में अपराधवार पृथक- पृथक आवश्यक कार्यवाही, प्रथम सूचना रिपोर्टें आदि अंकित कराते हुए तत्काल कठोरतम कार्यवाही करने/कराने का कष्ट करें, तथा इस प्रकरण के सभी निर्दोषों को न्याय प्रदान कराने का कष्ट करें, और की /कराई गई कार्यवाही से प्रार्थी को भी सूचित कराने का कष्ट करें।आपकी अति कृपा होगी।

दिनांक :–29.12.2025

संलग्नक:- एक पुस्तक - अफसरशाही (एक अनसुना सच)

प्रार्थी

जय भगवान पुत्र श्री चन्द्रभान

निवासी ग्राम- बुवाड़ा खुर्द, डाकखाना-

खतौली, जिला- मुजफ्फरनगर, पिन - 251 201

मोबाइल नंबर- 8630682756

Khatauli Bazar SO 251201
EU800591622IN, IVR No1: 6985...
29-12-2025 14:48:29, Counter No...
To: MR. APR MUKHIYA SACHIV NIYUKTI
LUCKNOW, LUCKNOW, 226001
From: JAI BHAGWAN
BHUWADA KHURD, MUZAFFAR, 251201
Base Amt: 75.00
To: MR. APR MUKHIYA SACHIV NIYUKT
P.Mode: Cash
POD:No, www.indiapost.gov.in

प्रारूप 2

सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 की धारा 6 (1) के अधीन सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध

सेवा में,

श्रीमान जन सूचना अधिकारी, **कार्यालय अपर मुख्य सचिव (नियुक्ति एवं कार्मिक), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ**

1-**आवेदक का नाम-** जय भगवान

2- **पिता का नाम-** श्री चन्द्रभान

3- **पता-** ग्राम- बुवाड़ा खुर्द, डाकखाना- खतौली, जिला- मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, पिन कोड- 251201

4- **ई- मेल पता, यदि कोई हो-**

5- **दूरभाष संख्या / मोबाइल संख्या-** 8630682756

6- **मांगी गई सूचना का ब्यौरा:-** प्रार्थी द्वारा दिनांक 29- 12- 2025 में अफसरशाही (एक अनसुना सच) नामक पुस्तक एक प्रार्थना पत्र के साथ आपको डाक द्वारा प्रेषित की थी। इस पुस्तक में आई0ए0एस0 अधिकारी श्री कौशलराज शर्मा, व पी0सी0एस0 अधिकारी डॉ0 इंद्रमणि त्रिपाठी (जो बाद में प्रोन्नत होकर आई0ए0एस0 हो गए) श्री रामकिशन शर्मा, श्री उमेश मिश्र व श्री राकेश कुमार द्वारा की गई लूट, गबन, भ्रष्टाचार, माफियाओ के साथ गठजोड़ कर सरकारी संपत्ति को हड़पने, माफियाओ को संरक्षण देने, धोखाधड़ी, जालसाजी, कूटरचना करके फर्जी रिपोर्टें बनाने/ बनवाने, किसानों की अरबो रुपए की गन्ने की फसल को लूटने, मुझ सहित सैकड़ो किसानों पर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके फर्जी मुकदमे दर्ज कराने तथा मुकदमे दर्ज कराने के बाद उन्हें सही साबित करने के लिए फर्जी सबूत बनाने/ बनवाने तथा फर्जी विवेचनाएं कराने सहित अनेक आपराधिक कृत्यों के लिखित सबूत/ प्रमाण आपको उपलब्ध कराए गए थे, यह सभी लिखित सबूत/ प्रमाण आपको भेजी गई पुस्तक अफ़सरशाही (एक अनसुना सच) में मौजूद हैं। प्रार्थी द्वारा आपको यह जानकारी भी उपलब्ध करा दी गई थी कि इस पुस्तक में दिए गए QR CODES को SCAN करके आप इन्हें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं तथा इन्हें DOWNLOAD करके इनका प्रिंटआउट भी निकलवा सकते हैं। पुस्तक के साथ भेजे गए प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा इस पुस्तक में उपलब्ध कराए गए लिखित प्रमाणों /सबूतों के आधार पर आपसे दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की गई थी तथा निर्दोषों को न्याय दिलाने की मांग की गई थी और की/कराई हुई कार्यवाही से प्रार्थी को सूचित कराने का अनुरोध भी किया गया था, किंतु आपके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी सूचना प्रार्थी को प्रदान नहीं की गई, जिस कारण प्रार्थी को प्रार्थी द्वारा भेजे गए प्रार्थना पत्र दिनांक 29- 12- 2025 व उसके साथ भेजी गई पुस्तक अफ़सरशाही (एक अनसुना सच) के सम्बन्ध में निम्न सूचनाओं की आवश्यकता है:-

(1)- पुस्तक अफसरशाही (एक अनसुना सच) में उल्लिखित अधिकारियों द्वारा महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर कार्यरत रहते हुए पुस्तक में उल्लिखित किए गए अनेक तरह के अपराधों जिनके लिखित सबूत/प्रमाण आपको उपलब्ध करा दिए गए हैं, के सम्बन्ध में इन अधिकारियों के विरुद्ध आपके द्वारा की/ कराई गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपियां।

(2)- पुस्तक अफ़सरशाही (एक अनसुना सच) में उल्लिखित अनेक निर्दोषों, जिनको अधिकारियों द्वारा फर्जी रूप से फंसाया गया है और इन सबके लिखित सबूत /प्रमाण आपको उपलब्ध करा दिए गए हैं, इन निर्दोषों को न्याय दिलाने हेतु आपके द्वारा की/कराई गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपियां।

क्रमशः 2

(3)- अधिकारियों द्वारा की गई लूट, भ्रष्टाचार, गबन, माफियाओ के साथ मिलकर सरकारी संपत्ति को हड़पने, माफियाओं को संरक्षण देने, धोखाधड़ी, जालसाजी, कूटरचना करके अनेक फर्जी रिपोर्टें बनाने, निर्दोषों को फर्जी रूप से फंसाने, किसानों की अरबो रुपए की गन्ने की फसल को लूटने, मुझ सहित सैकड़ो किसानों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराने तथा मुकदमे दर्ज कराने के बाद उन्हें सही साबित करने के लिए फर्जी सबूतो का निर्माण करने/कराने तथा फर्जी विवेचनाएं कराने आदि के सभी लिखित सबूत/ प्रमाण शासन (सरकार) को प्राप्त/ उपलब्ध हो जाने के पश्चात, शासन (सरकार) द्वारा दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करने के लिए किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है, आपके द्वारा इस प्रकरण में निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपियां।

(4)-शासन (सरकार) के संज्ञान में यह आने कि निर्दोषों को अधिकारियों द्वारा फर्जी रूप से फंसाया गया है और उसके सभी लिखित सबूत/प्रमाण शासन (सरकार) को प्राप्त हो जाए तो इस सम्बन्ध में शासन (सरकार) द्वारा निर्दोषों को न्याय प्रदान कराने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, इस प्रकरण में आपके द्वारा निर्दोषों को न्याय प्रदान कराने हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपियां।

7- **क्या वांछित सूचना व्यक्ति के जीवन या उसकी स्वतंत्रता से संबंधित है? हां/नहीं**--- नहीं।

8- **जमा की गई फीस का ब्यौरा:-** निर्धारित शुल्क संलग्न पोस्टल आर्डर संख्या-71F 362758 के द्वारा अदा किया जा रहा है।

9- **क्या आवेदक गरीबी की रेखा के नीचे (बी.पी.एल) की श्रेणी का है? हां /नहीं (यदि हां तो बी.पी.एल.) प्रमाण पत्र संलग्न करें**--- नहीं

10 **संलग्नको की सूची:-**

1-पोस्टल आर्डरसंख्या-71F 362758

2- प्रार्थी द्वारा भेजे गए प्रार्थना पत्र दिनांक 29- 12- 2025 की छायाप्रति।

स्थान-ख़तौली, मुजफ्फरनगर

दिनांक- 24-01-2026

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

पावती

श्री ------------------ निवासी------------- दिनांक------------को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1)के अधीन सूचना की मांग हेतु आवेदन पत्र जो क्रमांक--------- पर पंजीकृत, प्राप्त किया। दिनांक---------- राज्य लोक सूचना अधिकारी का हस्ताक्षर और पूरा पता

प्राधिकारिक मुद्रा

দশ টাকা   દસ રૂપિયા   ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ   പത്തു രൂപ   दहा रुपये   ଦଶ ଟଙ୍କା   दस रुपये   दश रूप्यकाणि

अपरक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO श्रीमान जनसूचना अधिकारी
कार्या० अपर मुख्य सचिव (नियुक्ति एवं कार्मिक) उ०प्र०शासन, लखनऊ को

दस रुपए की रक़म THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

₹ 10

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

जयभगवान पुत्र श्री चन्द्रपाल
ग्राम-बुढाखेड़ी, डा० भनेड़ी
जिला- मुजफ्फरनगर, उत्तरप्रदेश
पि०न०- 251201

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

AT THE POST OFFICE AT
लखनऊ
के डाकघर में अदा करें।

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

सत्यमेव जयते

71F 362758

HPCM MUZAFFARNAGAR RMS (251001) Counter No.1
SP-D EU712330269IN IVR:6985712330269
24-01-2026 16:08:10,32gms(Phy.),
To: UPPAR CHIEF SACHIV NIYUKTI AND KARMIK, IDC
IDC LUCKNOW , UTTAR PRADE - 226001
From:JAI BHAGWAN-251201
(Base:47.00)

Track@ www.indiapost.gov.in

भारतीय डाक
डाक सेवा-जन सेवा
India Post
Dak Sewa-Jan Sewa

उत्तर प्रदेश शासन

नियुक्ति अनुभाग-3

संख्या- I/1242095/2026

लखनऊ: दिनांक 17-02-2026

श्री जय भगवान पुत्र श्री चन्द्रभान,

निवासी ग्राम बुवाड़ा खुर्द,

डाकखाना-खतौली, जिला मुजफफरनगर

मो0- 8630682756

कृपया आई०ए०एस० अधिकारी श्री कौशलराज शर्मा व डॉ० इंद्रमणि त्रिपाठी एवं पी०सी०एस० अधिकारी श्री रामकिशन शर्मा श्री उमेश मिश्र व श्री राकेश कुमार के विरूद्ध की गयी शिकायत के सम्बन्ध में प्रेषित अपने पत्र दिनांक 29-12-2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उल्लेखनीय है कि कार्मिक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-13/1/97-क-1/1997, दिनांक 01.08.1997 द्वारा सरकारी सेवकों के विरूद्ध प्राप्त शिकायती पत्रों के निस्तारण हेतु निम्नलिखित प्राविधान किया गया है:-

"व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता से इस बारे में एक शपथ-पत्र उपलब्ध कराने तथा शिकायतों की पुष्टि हेतु समुचित साक्ष्य उपलब्ध कराने को कहा जाय और उनके प्राप्त होने के उपरांत ही आगे कार्यवाही की जाय।"

3- अतः अनुरोध है कि आई०ए०एस० अधिकारी श्री कौशलराज शर्मा व डॉ० इंद्रमणि त्रिपाठी एवं पी०सी०एस० अधिकारी श्री रामकिशन शर्मा श्री उमेश मिश्र व श्री राकेश कुमार के विरूद्ध की गयी शिकायत के सम्बन्ध में नोटरी द्वारा सत्यापित एवं शिकायतों की पुष्टि हेतु समुचित साक्ष्य उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

Digitally signed by
MANISH KUMAR SINGH
Date: 17-02-2026
17:21:17

(मनीष कुमार सिंह)
अनु सचिव।

(7)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अधीन प्रथम अपील

सेवा में, श्रीमान अपीलीय अधिकारी, कार्यालय मा० अपर मुख्य सचिव (नियुक्ति एवम् कार्मिक) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ

(प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्यरत अधिकारी का पदनाम और पता)

क : अपीलार्थी से सम्पर्क हेतु आवश्यक विवरण :

1–अपीलार्थी का नाम	जयभगवान
2–डाक का पता, सेल–फोन नम्बर और ई–मेल पता (यदि कोई हो)	जयभगवान पुत्र श्री चन्द्रभान, ग्राम-बुवाडा खुर्द डा०-खतौली, जिला-मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश पिन-251201 मो०नं०- 8630682756

ख : अपील का विवरण :

1–उस राज्य लोक सूचना अधिकारी का विवरण, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है	नाम (यदि उपलब्ध हो)	—
	पदनाम	जन सूचना अधिकारी
	पता	कार्यालय अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ
2–राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष सूचना हेतु अनुरोध प्रस्तुत करने का दिनांक (राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष सूचना हेतु प्रस्तुत अनुरोध की एक प्रति अवश्य संलग्न की जाए)	24-01-2026 संलग्न है।	
3–अपील के आधार (यदि राज्य लोक सूचना अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील की जाए तो ऐसे आदेश की एक प्रति अवश्य फाइल की जाए)	प्रार्थी द्वारा जिन बिन्दुओं पर सूचनायें चाही गई थी, वह सूचनायें प्रार्थी को उपलब्ध नहीं कराई गई है। (यदि उपर्युक्त स्थान पर्याप्त न हो तो पृथक पृष्ठ लगायें)	
4–प्रार्थना या मांगा गया अनुतोष	प्रार्थी द्वारा जिन 5 बिन्दुओं पर सूचनायें चाही गई है वह सूचनायें प्रार्थी को प्रदान की जायें।	
5–यदि अपील विहित अवधि के पश्चात् फाइल की जा रही हो तो विलम्ब का कारण	अपील विहित अवधि के अन्तर्गत दायर की जा रही है।	
6–उन दस्तावेजों की सूची जो अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं और जिन पर वह निर्भर हो	(1) आर०टी०आई० आवेदन दिनांक 24-01-2026 (2) प्रार्थना पत्र दिनांक 29-12-2025 (3) नियुक्ति अनुभाग पत्र दिनांक 17.02.2026 (4) प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र व पुत्रों को सम्बन्धित विभाग को मै० उनको छात्रावास व नियमित विभाग को उनके प्रमाण पत्र, डाक टिकट	

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

(जयभगवान)
14-03-2026

Khatauli SO 251201
EU334194480IN, IVR No1 : 6985334194480
14-03-2026 17:53:20, Counter No. 3.
To: MUKHYA SACHIV NIYUTI
GOV OF UP , LUCKNOW, 226001
From: JAI BHAGWAN
BUWADA KHURD , MUZAFFAR, 251201
Base Amt: 63.00
To: MUKHYA SACHIV NIYUTI
P.Mode: QR
POD:No, www.indiapost.gov.in

भारतीय डाक India Post Dak Sewa Jan Sewa

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-3
संख्या- I/1277447/2026
लखनऊ: दिनांक-24-03-2026

श्री जय भगवान पुत्र श्री चन्द्रभान,
ग्राम- बुवाडा खुर्द डा0 खतौली,
जिला मुजफरनगर- **251201**
मो0- **863068275**

कृपया अपने पत्र दिनाँक 14.03.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-19(1) के अधीन प्रथम अपील करते हुए अपने पत्र 24-01-2026 द्वारा निम्न 04 बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है:-

(1)- पुस्तक अफसरशाही (एक अनसुना सच) में उल्लिखित अधिकारियों द्वारा महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर कार्यरत रहते हुए पुस्तक में उल्लिखित किए गए अनेक तरह के अपराधों जिनके लिखित सबूत/प्रमाण आपको उपलब्ध करा दिए गए हैं, के सम्बन्ध में इन. अधिकारियों के विरुद्ध आपके द्वारा की/ कराई गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपियां।

(2)- पुस्तक अफ़सरशाही (एक अनसुना सच) में उल्लिखित अनेक निर्दोषों, जिनको अधिकारियों द्वारा फर्जी रूप से फंसाया गया है और इन सबके लिखित सबूत / प्रमाण आपको उपलब्ध करा दिए गए हैं, इन निर्दोषों को न्याय दिलाने हेतु आपके द्वारा की/कराई गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपियां।

(3)- अधिकारियों द्वारा की गई लूट, भ्रष्टाचार, गबन, माफियाओ के साथ मिलकर सरकारी संपत्ति को हड़पने, माफियाओं को संरक्षण देने, धोखाधड़ी, जालसाजी, कूटरचना करके अनेक फर्जी रिपोर्ट बनाने, निर्दोषों को फर्जी रूप से फंसाने, किसानों की अरबो रुपए की गन्ने की फसल को लूटने, मुझ सहित सैकड़ो किसानों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराने तथा मुकदमे दर्ज कराने के बाद उन्हें सही साबित करने के लिए फर्जी सबूतो का निर्माण करने/कराने तथा फर्जी विवेचनाएं कराने आदि के सभी लिखित सबूत/ प्रमाण शासन (सरकार) को प्राप्त/उपलब्ध हो जाने के पश्चात, शासन (सरकार) द्वारा दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करने के लिए किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है, आपके द्वारा इस प्रकरण में निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत की गई कार्यवाही की प्रमाणित

प्रतिलिपियां ।

(4)- शासन (सरकार) के संज्ञान में यह आने कि निर्दोषों को अधिकारियों द्वारा फर्जी रूप से फंसाया गया है और उसके सभी लिखित सबूत/प्रमाण शासन (सरकार) को प्राप्त हो जाएं तो इस सम्बन्ध में शासन (सरकार) द्वारा निर्दोषों को न्याय प्रदान कराने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, इस प्रकरण में आपके द्वारा निर्दोषों को न्याय प्रदान कराने हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपियां।

2- उल्लेखनीय है कि आपके द्वारा नोटराईज शपथ पत्र दिनांक 06-03-2026 एवं साक्ष्य के रूप में पुस्तक "अफसरशाही (एक अनसुना सच) संलग्नकर प्रेषित करते हुए IAS &PCS अधिकारियों की गंभीर शिकायतों का उल्लेख करते हुए उन के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- अवगत कराना है कि नोटराईज शपथ पत्र दिनांक 06-03-2026 एवं साक्ष्य के रूप में पुस्तक "अफसरशाही (एक अनसुना सच) संलग्नकर प्रेषित करते हुए प्रश्नगत प्रकरण में तथ्यपरक रिर्पोट (मय संगत अभिलेखादि सहित) संस्तुति सहित 15 दिवस के अन्दर शासन को अवश्य उपलब्ध कराने हेतु आयुक्त, सहारनपुर, मण्डल, सहारनपुर को शासन के पत्र संख्या-I/1277008, दिनांक- 23-03-2026 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निर्देशित कर दिया गया है।

संलग्नक: यथोक्त।

Digitally signed by
HARISHANKAR NATH TIWARI
Date: 24-03-2026 12:09:30

(हरिशंकर नाथ तिवारी)
अनुभाग अधिकारी/जन सूचना अधिकारी।

संख्या- I/1277008/2026

प्रेषक,

मनीष कुमार सिंह
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
सहारनपुर मण्डल,
सहारनपुर।

नियुक्ति अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांक - 23-03-2026**

विषयः- श्री जय भगवान श्री चन्द्रभान निवासी ग्राम बुवाड़ा खुर्द, डाकखाना खतौली, जिला मुजफफरनगर के शिकायती पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक श्री जय भगवान श्री चन्द्रभान निवासी ग्राम बुवाड़ा खुर्द, डाकखाना खतौली, जिला मुजफफरनगर के शिकायती पत्र दिनांक 06-03-2026 एवं पुस्तक "अफसरशाही (एक अनसुना सच)' **(छायाप्रति संलग्न)** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नोटराइज शपथ पत्र पर कतिपय आई०ए०एस० अधिकारियों व अन्य अधिकारियों आदि की गंभीर शिकायत की गई है। इन शिकायतों में मुख्यतः हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की भूमि घोटाले, मुकदमें करने, गन्ने की फसल पर लूट, व अन्य प्रकृति आदि की शिकायतें की गई हैं।

2- इस सम्बन्ध में उक्त शिकायती पत्र दिनांक 06-03-2026 एवं पुस्तक "अफसरशाही (एक अनसुना सच)' को **मूलरूप में संलग्न**कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में तथ्यपरक रिपोर्ट (मय संगत अभिलेखादि सहित) अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित 15 दिवस के अन्दर कृपया शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by
MANISH KUMAR SINGH
Date: 23-03-2026
18:50:52

(मनीष कुमार सिंह)
अनु सचिव।